

चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

क्रमांक:-प.13 (2) साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक 29-06-2015


--: आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त स्थानों(सूची संलग्न) के उप चुनाव दिनांक 12.07.2015(रविवार) को होने के कारण संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर(जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है ।

साथ ही पुर्नमतदान की स्थिति में भी जहाँ पुर्नमतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुर्नमतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर(जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है ।


संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(अजीत कुमार सिंह)  
प्रमुख शासन सचिव


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर ।
3. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर
4. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/राजस्थान, जयपुर ।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
6. निजी सचिव,समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिवगण/विशिष्ट सचिवगण
7. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ. 7(2)(1)पंचा/रानिआ/15/4776 दिनांक 24.06.2015 के क्रम में।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
9. समस्त जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) ।
10. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार(अनु-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
12. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ।
13. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप1,3,4,5,6) विभाग/सम्पदा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।

  
(महेन्द्र कुमार खीची)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
3. सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर ।
5. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
6. रक्षित पत्रावली ।

  
शासन उप सचिव

6.4.11  
प्रमाणित संख्या 18/8.  
दिनांक 26/6/15

826807  
25/6/15

AS(s)

कैज  
25/6/2015

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान  
(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.7(2)(1)पंचा/रानिआ/15/4776

जयपुर, दिनांक 24-06-2015

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,  
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

प्रेषित

प्रमुख शासन सचिव,  
सामान्य प्रशासन विभाग,  
सचिवालय, जयपुर।

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव जुलाई, 2015

महोदय,

पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त स्थानों (सूची संलग्न) के उप-चुनाव, दिनांक 12.07.2015  
(रविवार) को सम्पन्न कराये जायेगे। उक्त मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक  
अवकाश घोषित करवाने का श्रम करें।

संलग्न: उपचुनाव कार्यक्रम एवं सूची

भवदीय,

अशोक कुमार जैनी  
24/6/2015

GAD-2

पंचायतीराज संस्थाओं में दिनांक 30.04.2015 तक रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति हेतु जुलाई, 2015 में होने वाले उप चुनाव का कार्यक्रम

जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य का उपचुनाव:

1.	नियम 58 के तहत निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना	दि. 29.06.2015 (सोमवार)
2.	नाम निर्देशनों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	दि. 01.07.2015 (बुधवार) (अपरान्ह 3 बजे तक)
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	दि. 02.07.2015 (गुरुवार)
4.	नाम निर्देशन पत्र वापिस लेने की अंतिम तारीख	दि. 03.07.2015 (शुक्रवार) (अपरान्ह तीन बजे तक)
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	दि. 03.07.2015 (शुक्रवार) (अपरान्ह तीन बजे बाद)
6.	मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो, होगा	दि. 12.07.2015 (रविवार)
7.	मतदान का समय	प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक
8.	मतों की गणना	दि. 14.07.2015 (मंगलवार) (प्रातः 8 बजे से) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर

पंच एवं सरपंचों के लिए उपचुनाव

1.	नियम 23 के सपठित नियम 55, 56 व 57 के अन्तर्गत लोक नोटिस जारी करना	दि. 29.06.2015 (सोमवार)
2.	नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, संवीक्षा व वापिसी	दि. 08.07.2015 (बुधवार)
	समय	
	(1) नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति	प्रातः 8 बजे से प्रातः 11 बजे तक
	(2) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	पूर्वान्ह 11.30 बजे से
	(3) अभ्यार्थिता वापसी	अपरान्ह 3 बजे तक

